मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 से 2

नवीन कानून संहिता के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण मद में ₹ 50.00 लाख एवं विशेष सेवाओं हेतु व्यय मद में ₹ 50.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3 से 4

नवीन कानून संहिता के क्रियान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मद में ₹ 500.00 लाख एवं व्याख्याताओं को मानदेय मद में ₹ 100.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

1. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की साईबर फोरेंसिक शाखा हेतु 07 पदों के सृजन पर ₹ 45.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या
1	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर/आई.टी.)	13	1
2	वैज्ञानिक अधिकारी (कम्प्यूटर/आई.टी.)	12	2
3	सहायक प्रोग्रामर	9	2
4	स्वीपर (कलेक्टर दर)	कलेक्टर दर	2
योग			**7**

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उचित क्रियान्वयन हेतु राज्य के अनुविभागीय स्तर पर न्यायिक दल (फोरेंसिक टीम) के गठन हेतु कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 88 पदों के सृजन हेतु ₹ 587.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।
अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।
अत: इन प्रयोजनो हेतु कुल ₹ 45,00,100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

1. जिला रायपुर अंतर्गत कौशल्या विहार (कमल विहार) कालोनी में नवीन पुलिस थाना की स्थापना हेतु 65 पदों के सृजन पर ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या
1	निरीक्षक	9	1
2	उप निरीक्षक	8	2
3	सहायक उप निरीक्षक	6	4
4	प्रधान आरक्षक	5	8
5	आरक्षक	4	50
योग			**65**

2. जिला रायपुर अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना हेतु 06 पदों के सृजन पर ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या

1	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)	13	1
2	सहायक उप निरीक्षक (अ)	4	1
3	प्रधान आरक्षक	5	1
4	आरक्षक	4	1
5	आरक्षक (चालक)	4	1
6	स्वीपर (कलेक्टर दर)	–	1
योग			**6**

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 7

1. छत्तीसगढ़ भवन/सदन नई दिल्ली तथा राज्य में महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 30 नग डीएफएमडी एवं 04 नग अण्डर व्हीकल स्केनिंग सिस्टम क्रय हेतु ₹ 667.91 लाख का व्यय संभावित है ।
2. नवीन कानून संहिता के क्रियान्वयन हेतु मशीन उपकरण क्रय पर ₹ 300.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

   अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतु ₹ 9,67,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

1. नवा रायपुर में पुलिस थाना भवन निर्माण हेतु ₹ 66.52 लाख का व्यय संभावित है ।
2. जिला कबीरधाम के पोड़ी में चौकी भवन निर्माण हेतु ₹ 44.83 लाख का व्यय संभावित है।

   अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,11,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

1. ऑडियो-वीडियो एवं साइबर फोरेंसिक शाखा हेतु 01 नग डेमेज स्टोरेज मीडिया फोरेंसिक डिवाईस क्रय हेतु ₹178.00 लाख, 01 नग हाई इण्ड कॉन्फीगरेशन सर्वर क्रय हेतु ₹ 75.00 लाख, 02 नग हाई इण्ड फोरेन्सिक वर्कस्टेशन क्रय हेतु ₹74.00 लाख का व्यय संभावित है।
2. विष-रसायन-नार्कोटिक शाखा हेतु 01 नग आईसीपीएमएस उपकरण क्रय हेतु ₹ 250.00 लाख का व्यय संभावित है ।

   अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,77,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।